

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रशासन गाँवों के संग अभिलेख - 2021 क्रमांक १५६१/१७७७

प्रकरण संख्या / १००५/२५

दिनांक - 16.11.2021

उक्त :-

श्री रामधर सिंह पुत्र देवी लाल

सरकार जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

== आदेश ==

प्राची के छाता पुस्तकी प्रकरण पर और उसके साथ सलगन दरतावेज पटवारी इत्यादि को संदर्भ में विद्यमान मासिक तहसीलदार / तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट/ अनुसंधान अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 130 के अनुसार में नाम रामधर सिंह पुत्र देवी लाल की वर्तमान प्रशासकीय संख्या 2071-73 के छाता संख्या 3 में प्राचीन की प्रतिकृति रामधर सिंह पुत्र देवी लाल के स्थान पर रामधर सिंह पुत्र देवी लाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश जारी किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत की जावे।

उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिसिद्धि :-

1. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा को भोजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें
2. प्राची की रामधर सिंह पुत्र देवी लाल
3. रचित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा